Swaraj India

6th National Executive Meeting

N D Tiwari Bhawan, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi

14 August 2017

2:00 pm to 7:00 pm

....

(कृपया हिन्दी मिनट्स देखने के लिए पेज 4 पर जाएँ)

Agenda of the Meeting

- Ratification of minutes of the 5th National Executive meeting
- Presentation by Delhi MCD election review team
- Formation of state committees : National Organizing Committee's report and discussion
- Presentation on Swaraj India membership
- Organizational discussions and decisions
- Treasurer's report, status of bank accounts and donation coupons
- Any other issue with prior permission of the Chair

....

Minutes of the Meeting

1. **Attendance**
(A copy of the attendance sheet signed by participants present is attached at **Annexure–A**)

2. The meeting was presided over by Prof. Ajit Jha.

3. **Ratification of minutes of the 5th National Executive meeting**

Mr. Rajeev Dhyani informed the House that minutes of the 5th National Executive meeting of Swaraj India that was held on 17th May 2017 have been circulated to the members through email. He proposed that the said minutes be ratified as circulated. This was seconded by Mr. Faheem Khan and unanimously approved by the House..

4. **Opening of bank accounts of state units**

Regarding opening of the bank accounts at state level, Treasurer Mr. Faheem Khan informed that the process has been initiated with State Bank of India. He informed that these accounts will be opened in the branches of SBI.

In the meeting it was resolved that bank accounts of state units shall be operated jointly by the state treasurer & either of the state secretary or the state president. The accounts shall be opened with national treasurer of Swaraj India as one of the requesting signatories. It was further

resolved that the national treasurer of Swaraj India will be authorized to close the bank account without reference to the other signatories of the states' bank accounts. National treasurer will be exclusively competent to instruct the bank to transfer the balance to the credit in the account to the national bank account of Swaraj India.

It was decided that national treasurer will draft guidelines regarding opening of the accounts, and share the same with state leadership.

5. Membership

Treasurer Mr. Faheem Khan introduced the format for membership and explained the same. It was decided that based on the feedback received in the meeting, National Organizing Committee, in consultation with office bearers, will finalize the format and share the same with the states. IT team of Swaraj India will create IT systems to support this membership process.

6. **Donation coupons**

As decided in the 5th NE meeting of SI, Treasurer Mr. Faheem Khan presented the draft formats of donation coupons. It was decided that based on the feedback received in the meeting, the treasurer will finalize the format and get the coupons printed. The coupons will be printed in 4 different denominations (Rs. 20, Rs. 50, Rs. 100 and Rs. 500). Norms for using donation coupons will be framed by the treasurer in consultation with other office bearers.

7. **Formation of state committees**

In the 5th meeting of the NE, National Organizing Committee was given responsibility to constitute ad-hoc state committees of Swaraj India. In this regard, Prof. Somnath Tripathi, convener of National Organizing Committee informed the House that the adhoc committees had already been formed in Punjab & Maharashtra. He also informed the House that based on NOC's recommendation, the National Presidium had announced state committees for Delhi, Haryana and Bihar. On his proposal, the House approved these announcements.

Prof. Tripathi also proposed to approve the ad-hoc state committees for Himachal Pradesh, Karnataka, Odisha and Rajasthan, recommended by the NOC. This was unanimously approved by the House. Prof. Tripathi informed the house that the process for constituting state committee in Uttar Pradesh is going on. Regarding formation of state teams in Jammu & Kashmir, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, it was decided that the NOC will look into it as and when such proposals are received from these states.

8. Review of MCD elections

In the 5th meeting of NE, a committee was constituted to review the Delhi MCD elections. Mr.Vigyan Modi, head of this committee, requested the House for extension of two weeks' time for completing the task. The House granted the requested extension to the committee.

9. New office bearers

In the meeting there was a discussion on the possibility of having new office bearers of Swaraj India. As there was no unanimity on this, it was decided to go for vote. 13 members were in favour of having more office bearers whereas 8 were against it. However Prof. Yogendra Yadav requested the House to respect the minority opinion and to discuss this issue at length in the next meeting of National Executive. The House unanimously accepted his request.

10. Cessation of NE membership

Mr.Rajeev Dhyani proposed the following resolution - 'If any member of the National Executive of Swaraj India is absent for two consecutive ordinary meetings of the NE, a notice will be issued to him/her that if s/he fails to attend the next ordinary meeting of the committee, his/her membership of NE will cease automatically. If the member fails to attend the next ordinary meeting of the committee after receiving such notice, his/her membership of the committee will cease automatically'. This was seconded by Mr. Rajeev Godara and unanimously passed by the House.

After the address by Prof. Yogendra Yadav, the meeting was adjourned at 7 am.

स्वराज इण्डिया

6वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

एन डी तिवारी भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।

14 अगस्त 2017

अपरान्ह 2 बजे से सायं 7 बजे

....

बैठक का एजेंडा

- राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 5वीं बैठक के मिनट्स को स्वीकृति
- दिल्ली नगर निगम चुनाव समीक्षा टीम द्वारा प्रस्तुतीकरण
- राज्य समितियों के गठन के बारे में राष्ट्रीय संगठन समिति की रिपोर्ट तथा चर्चा
- संगठनात्मक चर्चाएँ तथा निर्णय
- कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट: वित्तीय रिपोर्ट, बैंक खातों तथा डोनेशन कूपन की स्थिति
- अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

....

बैठक के मिनट्स

8. उपस्थिति
(उपस्थित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक की प्रति संलग्न है. कृपया संलग्नक A देखें.)

9. बैठक की अध्यक्षता प्रो. अजित झा ने की.

10. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पांचवीं बैठक के मिनट्स को स्वीकृति/ अनुमोदन

श्री राजीव ध्यानी ने सूचित किया कि 17 मई 2017 को संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पांचवीं बैठक के मिनट्स सदस्यों को ई मेल द्वारा प्रेषित कर दिए गए थे. उन्होंने इन मिनट्स को स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव किया. श्री फहीम खान द्वारा इसका अनुमोदन किया गया. मिनट्स सर्व सम्मति से स्वीकृत किये गए.

11. स्वराज इण्डिया राज्य इकाइयों के बैंक खाते

राज्य स्तर पर स्वराज इण्डिया के बैंक खाते खोलने के विषय पर कोषाध्यक्ष श्री फहीम खान ने सूचित किया कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है. उन्होंने सूचित किया कि उक्त सभी खाते भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में ही खोले जायेंगे. खाते का संचालन संयुक्त रूप से होगा. खाता राज्य के कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा महासचिव के नाम से खुलेगा. इसके संचालन के लिए कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं. साथ ही अध्यक्ष या महासचिव में से किसी एक का हस्ताक्षर ज़रूरी होगा. साथ ही रिक्वेस्टिंग सिग्नेटरी के रूप में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का नाम भी खाते से जुड़ा रहेगा. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अन्य अधिकृत सिग्नेटरीज़ को सूचित किये बिना उक्त खाते को बंद करने तथा उसमें जमा राशि को स्वराज इण्डिया के केन्द्रीय खाते में हस्तांतरित (ट्रांसफर) करने के लिए अधिकृत होंगे.
बैठक में यह तय हुआ कि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया से सम्बंधित दिशानिर्देश तैयार करेंगे, तथा इसे राज्य नेतृत्व के साथ साझा करेंगे.

12. सदस्यता

कोषाध्यक्ष श्री फहीम खान ने सदस्यता की रसीद का प्रारूप प्रस्तुत किया तथा इसे सदस्यों को समझाया. यह तय हुआ कि बैठक में प्राप्त फीडबैक के आधार पर राष्ट्रीय संगठन समिति केन्द्रीय पदाधिकारियों से सलाह करते हुए प्रारूप को अंतिम रूप देकर इसे राज्यों के साथ साझा करेगी. स्वराज इंडिया की आई टी टीम सदस्यता के लिए ज़रूरी आई टी सिस्टम्स तैयार करेगी, तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी.

***13.* डोनेशन कूपन**

जैसा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 5वीं बैठक में तय हुआ था, कोषाध्यक्ष श्री फहीम खान ने डोनेशन कूपन का प्रारूप प्रस्तुत किया. बैठक में प्राप्त फीडबैक के आधार पर कोषाध्यक्ष इस प्रारूप को अंतिम रूप देकर इनका मुद्रण करवाएंगे. ये कूपन रु. 20, रु. 50, रु. 100 तथा रु. 500 की राशि के होंगे. कोषाध्यक्ष द्वारा अन्य पदाधिकारियों से सलाह करते हुए इन कूपनों के प्रयोग के बारे में दिशानिर्देश तैयार किये जायेंगे.

***14.* राज्य समितियों का गठन**

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 5वीं बैठक में राष्ट्रीय संगठन समिति को राज्यों में तदर्थ समितियाँ गठित करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी. इस सन्दर्भ में संगठन समिति के संयोजक प्रो. सोमनाथ त्रिपाठी ने सदन को सूचित किया कि पंजाब तथा महाराष्ट्र में समितियाँ पहले ही गठित कर ली गई थीं. उन्होंने सदन को सूचित किया कि पिछली बैठक के बाद संगठन समिति की संस्तुति पर स्वराज इण्डिया प्रेसीडियम ने दिल्ली, हरियाणा तथा बिहार की तदर्थ राज्य कार्यकारिणियों की घोषणा की है. प्रो. त्रिपाठी के प्रस्ताव पर सदन ने इन घोषणाओं को अपनी स्वीकृति दी.

प्रो. त्रिपाठी ने राष्ट्रीय संगठन समिति द्वारा प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा तथा राजस्थान की तदर्थ समितियों को स्वीकृति देने का प्रस्ताव रखा. इन्हें सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई. प्रो. त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में तदर्थ समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है. जम्मू एवं कश्मीर, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन राज्यों में तदर्थ समितियों के गठन पर विचार किया जाएगा.

8. दिल्ली नगर निगम चुनावों की समीक्षा

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 5वीं बैठक में दिल्ली में संपन्न नगर निगम चुनावों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया था. समिति की ओर से श्री विज्ञान मोदी ने इस समिति के कार्य को पूरा करने के लिए दो सप्ताह का समय बढाने का आग्रह किया. सदन ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की.

11. नए पदाधिकारी

बैठक में स्वराज इंडिया में नए पदाधिकारियों की संभावना पर चर्चा हुई. इस विषय पर कोई आम सहमति न बनने की स्थिति में वोट कराने का निर्णय लिया गया. 13 सदस्यों ने और अधिक पदाधिकारियों ने पक्ष में मत दिया, जबकि 8 ने इसके

विरोध में मत दिया. हालाँकि प्रो. योगेन्द्र यादव ने सदन से अल्पमत का भी सम्मान करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने का सुझाव दिया. सदन ने सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया.

12. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यता की समाप्ति

श्री राजीव ध्यानी ने निम्न प्रस्ताव रखा - 'यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई सदस्य लगातार कार्यकारिणी की दो सामान्य बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उस व्यक्ति को इस आशय का नोटिस दिया जाएगा कि सम्बंधित समिति की अगली बैठक में भी अनुपस्थित रहने पर उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी. इस प्रकार का नोटिस मिलने के बाद भी यदि वह सदस्य अगली सामान्य बैठक में अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी.' इस प्रस्ताव का समर्थन श्री राजीव गोदारा ने किया. प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ.

प्रो. योगेन्द्र यादव के संबोधन के बाद सायं 7 बजे बैठक संपन्न हुई.